पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 09 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.09.2024

दिनांक 15/16.09.2024 को-

01-थाना गोमतीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 0455/2024 धारा-115(2)/352/109 BNS से सम्बन्धित अभियुक्त अमित सिंह

02- थाना गुडम्बा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 369/2024 धारा 318(4) BNS व 66 डी आई टी एक्ट से संबंधित 03 अभियुक्तों 01-शैलेश गुप्ता 02-अंशुमान सिंह 03-रवि सिंह

03- थाना हजरतगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0- 249/2024 धारा 376/506 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 शानू उर्फ एहतिशाम अहमद

04- थाना मड़ियाव में पंजीकृत मु0अ0सं0- 393/24 धारा- 323/363/366/376/427/342 IPC व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नवल बाजपेयी उर्फ पुत्तू बाजपेयी

05-थाना मड़ियाव से पंजीकृत मु0अ0सं0- 0556/2024 धारा 376/323/504/506 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त- अतुल

06-थाना मड़ियाव में पंजीकृत मु0अ0सं0- 0545/24 धारा 303(2)/317(2)/318(4) BNS से संबंधित 02 अभियुक्तों 01-अवनीश कुमार राठौर 02-मो0 शाद बेग

जोन-दक्षिणी

थाना नगराम-दिनांक 15.09.2024 को थाना स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत हरदोइया बाजार में एक गैस सिलेंडर व जूते चप्पल की दुकान में सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगने की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस और फ़ायर की टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर आस-पास के लोगों को सुरक्षित दूरी पर लाया गया। राहत एवं बचाव कार्य करते हुए आग पर काबू पाया गया। उक्त दुकान पंकज पुत्र रामकिशोर निवासी मिटौली आदमपुर थाना नगराम लखनऊ नाम के व्यक्ति का है। दुकान मालिक के पुत्र प्रभात उम्र करीब 22 वर्ष को आग की चपेट में आने से हल्की चोटें आयीं हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। । बाकी अन्य कोई हताहत नहीं है। मौके पर कुशलता है।

जोन पश्चिमी

थाना सआदतगंज-दिनांक 15.09.2024 को श्री राज गुप्ता पुत्र राम अदालत गुप्ता निवासी-ऐशबाग माल गोदाम, गुडशेड रोड लखनऊ ने थाना स्थानीय पर सूचना दिया कि उनके ताऊ रतन पुत्र राम नरेश उम्र करीब 56 वर्ष जो कि अविवाहित थे और ट्राली चलाते थे, जिनके पेट में पथरी होने के कारण अधिकतर समय बीमार रहते थे। दिनांक 14.09.2024 को शाम के समय बाल कटवाने गये हुए थे जिनकी 15.09.2024 को सुबह में करीब 08.00 बजे पता चला ऐशबाग पुल के नीचे न्यू साईक्रो साइकिल कम्पनी के बाहर बीमारी के कारण मृत्यु हो गयी है। **इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।**

<u>जोन पश्चिमी</u>

<u>थाना पारा</u>-आज वादी श्री पंकज यादव निवासी- चुन्नुखेड़ा थाना पारा लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी, जिसमें कल दिनांक 15.09.2024 को समय करीब 08.30 बजे रात्रि में काशीराम कालोनी के पास आरोपी शंकर, जुबैर, अभय, अनुराम, इमरान, हर्ष, दिनेश, फैजू, अभिषेक यादव एवं अन्य 05 से 06 अज्ञात द्वारा वादी के ऊपर धारदार हथियार व हथौड़े इत्यादि से जानलेवा हमला/मारपीट कर घायल कर देने व वादी के गले की चेन व पर्स में रखी नगदी व अन्य जरूरी दस्तावेज छीन लेने के तथ्य अंकित हैं | **इसी सूचना पर थाना पारा द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0-538/2024 अंतर्गत धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/351(3)/117(2)/309(6)/109(1) बीएनएस पंजीकृत कर घटना में शामिल 04 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है|**

<u>जोन पूर्वी</u>

<u>थाना बीबीडी-</u>

थाना स्थानीय पर आज दिनांक 16.09.2024 को डा0 राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से एक डेथ मेमों मृतक रिहान अली पुत्र श्री कुर्बान निवासी ग्राम धकौली पोस्ट सौमैय्या नगर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 23 वर्ष के संबध में प्राप्त हुआ। **सूचना पर तत्काल एस0आई0 श्री अरविन्द थाना बीबीडी द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है।** प्रथमदृष्टया जानकारी के दौरान मृतक के परिजनों से ज्ञात हुआ है कि मृतक रिहान उपरोक्त अपने अन्य साथी के साथ अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से किसी काम से लखनऊ आया हुआ था। घर वापस जाते समय रास्तें में बीबीडी चौराहे के पास आज भोर में करीब 03.00 बजे किसी अज्ञात चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दिया है| घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था, **डॉक्टर द्वारा रिहान उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया है और घायल साथी फैज़ल इलाजरत है जो कि खतरे से बाहर है। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।**

<u>जोन उत्तरी</u>

<u>थाना बीकेटी-</u>

दिनांक 17.07.2024 को थाना बीकेटी पर श्री सीताराम वर्मा निवासी-ग्राम भीखापुरवा थाना बीकेटी जनपद लखनऊ ने **अपना मोबाइल फोन OPPO A38** दिनांक 06.07.2024 को थानाक्षेत्र ग्राम भीखापुरवा मोड पर कहीं गुम/खो जाने के सम्बन्ध में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया था । उक्त खोये गये मोबाइल की का0 मनोज कुमार, थाना बीकेटी द्वारा यूपी काप व दूर संचार विभाग के सीईआईआर पोर्टल पर फीडिंग की गयी । जिसके क्रम में दिनांक 14.09.2024 को सीईआईआर पोर्टल से प्राप्त डाटा की मदद से उक्त मोबाइल को बरामद कर आवेदक को सुपुर्द किया गया। अपना खोया हुआ मोबाइल फोन पाकर आवेदक द्वारा थाना बीकेटी पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार प्रकट किया गया।

<u>**थाना बीकेटी-**</u>

दिनांक 17.06.2024 को थाना बीकेटी पर थाना क्षेत्र की निवासिनी/आवेदिका का **मोबाइल VIVO V29 PRO कीमत करीब (39,999 रू0)** थाना क्षेत्र ग्राम देवरी कला सरकारी ट्यूबवेल के पास कहीं गुम/खो जाने के सम्बन्ध में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। उक्त खोये गये मोबाइल की का0 मनोज कुमार, थाना बीकेटी द्वारा यूपी काप व दूर संचार विभाग के सीईआईआर पोर्टल पर फीडिंग की गयी। जिसके क्रम में दिनांक 16.09.2024 को सीईआईआर पोर्टल से प्राप्त डाटा की मदद से उक्त मोबाइल को बरामद कर आवेदिका को सुपुर्द किया गया। अपना खोया हुआ मोबाइल फोन पाकर आवेदिका द्वारा थाना बीकेटी पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार प्रकट किया गया।

<u>**थाना सैरपुर-**</u> दिनांक 15.09.2024 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी, जिसमें नामजद आरोपी रामसजीवन यादव निवासी-ग्राम मुबारकपुर सजीवन नगर, आई0आई0एम0 रोड थारा सैरपुर लखनऊ द्वारा पीड़िता को मिठाई में नशा मिलाकर देना व् बेहोशी के हालत में दुष्कर्म करने तथा आपत्तिजनक फोटो/वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हुए लगातार यौन शोषण करने के तथ्य अंकित है। **इस सूचना पर तत्काल थाने पर मु0अ0सं0 128/24 अंतर्गत धारा 64/123/351(3) BNS व धारा 3(2)(5) SC/ST एक्ट बनाम रामसजीवन पुत्र सुखलाल निवासी मुबारकपुर लखनऊ पंजीकृत कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है**